महत्वपूर्ण

संख्या– 257 / नौ–9–2022–08ज / 22

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मण्डलायुक्त / अध्यक्ष,
एस0पी0वी0 सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लि0,
लखनऊ / कानपुर / आगरा / वाराणसी / प्रयागराज / मेरठ / बरेली / मुरादाबाद / गोरखपुर / अलीगढ़ / झांसी।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांकः 11 फरवरी, 2022

विषय–नगरीय परिवहन की बसों से दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में नगरीय परिवहन अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत प्रदेश के 06 शहरों में नगरीय बसों, फेम–I योजनान्तर्गत लखनऊ शहर में इलेक्ट्रिक बसों तथा फेम–II योजनान्तर्गत प्रदेश के 14 शहरों में वातानुकूलित मिडी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराया जा रहा है। नगरीय परिवहन की बसों के सुरक्षित संचालन एवं उससे होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये निम्नवत कार्यवाही की जाए:–

1. वैध ड्राइविंग लाइसेंस धारक चालक से ही बस का संचालन सुनिश्चित कराया जाये तथा समय–समय पर बसों की फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण–पत्र उसके साथ–साथ चालक और परिचालक का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाए। इसके लिये एस0ओ0पी0 भी तैयार करते हुये उसको गंभीरता से लागू कराया जाए।
2. बसों पर चालकों / परिचालकों की व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार की जाये तथा चालकों / परिचालकों की उचित ड्यूटी–अवधि निर्धारित की जाए, जिसका नियमित रूप से सत्यापन निजी संचालक / संबंधित एस0पी0वी0 द्वारा कराया जाएं।
3. इलेक्ट्रिक बसों का संचालन पी0पी0पी0 मोड पर ग्रॉस–कॉस्ट–कान्ट्रैक्ट मॉडल पर चयनित संचालक द्वारा किया जा रहा है। चालक / परिचालक द्वारा किसी घटना की सूचना दिये जाने पर निजी संचालक के सुपरवाइजर, एस0पी0वी0 / Authority स्तर से त्वरित कार्यवाही की आवश्यकता है। प्राप्त सूचना का विवरण सहित रिकार्ड भी रखे जाने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में आवश्यकतानुसार दायित्वों का निर्धारण किया जा सके।
4. निजी संचालक द्वारा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए एक कन्ट्रोल रूम बनाया जाए जहां बसों के रियल टाईम लोकेशन, पैनिक बटन और इलेक्ट्रिक बसों के सी0सी0टी0वी0 कैमरों का इन्टीग्रेशन करते हुए नियमित मॉनीटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये। प्रत्येक बस में किसी अपरिहार्य परिस्थिति के लिए निजी संचालक द्वारा स्थापित हेल्प लाईन नं0 तथा जिला प्रशासन के हेल्प लाईन नम्बर्स का डिसप्ले सुनिश्चित कराया जाये। किसी प्रकार का एलर्ट जनरेट होने पर आवश्यक कार्यवाही त्वरित गति से सुनिश्चित की जाये। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के लिए एक एस0ओ0पी0 निजी संचालक द्वारा बनाते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

5. निजी संचालक द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक बसों में उपलब्ध पैनिक बटन को क्रियाशील किया जाए तथा उसका इन्टीग्रेशन केन्द्रपुरोनिधानित स्मार्ट सिटी के आई0सी0सी0सी0 के कन्ट्रोल रूम तथा राज्य स्मार्ट सिटी में आई0टी0एम0एस0 के कमॉण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के साथ किया जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके।
6. बसों के संचालन में रूट चार्ट तथा निर्धारित समय का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाए, जिससे जन–सामान्य को इस सुविधा का गुणवत्तापूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।
7. इलेक्ट्रिक बस संचालन की निजी कम्पनी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित स्टॉपेज प्वाइंट पर निर्धारित अवधि के लिये ही बस खड़ी की जाए। संचालन अवधि में चालक/परिचालक द्वारा शराब या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ आदि का सेवन न किया जाए, जिसके लिये संबंधित एस0पी0वी0 सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं निजी आपरेटर तथा पुलिस–प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से नियमित एवं औचक निरीक्षण कर बस चालक/परिचालक की उच्चगुणवत्ता के ब्रीथ एनालाइजर के माध्यम से टेस्टिंग या पूछताछ की जाए, ताकि चालक/परिचालक द्वारा इनके सेवन पर प्रभावी रोक लगायी जा सके।
8. बसों के संचालन वाले सभी महत्वपूर्ण रूटों, विशेषकर ऐसे स्थान व चौराहे जहाँ पर अधिक भीड़–भाड़ होती हो, उन क्षेत्रों में रूट पर या निश्चित बिन्दुओं पर तैनात पुलिस और सुरक्षाकर्मी भी बसों के संचालन के संबंध में आवश्यक बिन्दुओं यथा तेज गति, गलत ओवर टेकिंग, विपरीत दिशा में बसों का संचालन, गलत जगहों पर बसों की पार्किंग, बीच सड़क से यात्रियों को उतारने व बैठाने आदि गलत प्रवृत्तियों के संज्ञान में आने पर उन्हें निर्देशित करते हुये आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए उच्चाधिकारियों/कन्ट्रोल रूम को भी सूचित करें।
9. स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्थापित इन्टीग्रेटेड कमॉण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेन्टर (आई0सी0सी0सी0)/आई0टी0एम0एस0 के अन्तर्गत स्थापित समस्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे पूर्ण रूप से अनवरत क्रियाशील किये जाये तथा वीडियो रिकार्डिंग भी सुनिश्चित की जाये, जिससे कमाण्ड सेन्टर में तैनात पुलिस/सुरक्षाकर्मी द्वारा इस प्रकार की घटनाओं के संबंध में पूर्ण सूचनाएं/वीडियो रिकार्डिंग/डाटा के आधार पर बेहतर समन्वय करते हुये अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
10. आई0टी0एम0एस0 अन्तर्गत लगाये गये समस्त कैमरों का अनवरत संचालन सुनिश्चित कराया जाय तथा कैमरे संचालित न होने की दशा में संबंधित अधिकारी/निजी संचालक/आपरेटर के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।
11. इन्टीग्रेटेड कमॉण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेन्टर में पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय करते हुये पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों की तैनाती सुनिश्चित करायी जाय इसके लिये पुलिस–प्रशासन, नगर निगम तथा जिला–प्रशासन के मध्य समन्वय की आवश्यकता है। इन्टीग्रेटेड कमॉण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेन्टर में पर्याप्त पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ ही राजपत्रित अधिकारी की तैनाती भी की जाय, जो समय–समय पर निरीक्षण कर उच्चाधिकारियों को अवगत करायेगा।
12. निजी बस संचालकों के सुपरवाइजर, परिचालक/चालक के मध्य समन्वय सुनिश्चित किया जाए, जिससे किसी घटना के विषय में निजी एस0पी0वी0/

Authority तथा पुलिस कण्ट्रोल रूम को सूचना समयान्तर्गत उपलब्ध करायी जा सके।

13. इलेक्ट्रिक बस मेन्टीनेन्स डिपो चार्जिंग स्थल पर चालकों/परिचालकों के लिये उचित स्थान पर विश्राम–गृह, पौष्टिक आहार, शौचालय, शुद्ध पेय–जल और हेल्प डेस्क/आकस्मिक चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिये, जिससे चालकों/परिचालकों का मानसिक एवं शारीरिक सन्तुलन बेहतर रहे।

14. नगरीय परिवहन निदेशालय स्तर से सभी संचालित की जा रही ई–बसों की लोकेशन/स्पीड/इनकम/स्टॉपेज पर ठहरने का समय तथा गन्तव्य तक पहुंचने के निर्धारित समय आदि के अनुश्रवण हेतु एक डैश बोर्ड बनाया जाये तथा एम0आई0एस0 जनरेट कराया जाए।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, ताकि भविष्य में नगरीय परिवहन की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम की जा सके।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अपर मुख्य सचिव,** गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. **निदेशक/संयुक्त निदेशक,** नगरीय परिवहन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. **जिलाधिकारी,** लखनऊ/ कानपुर/ आगरा/ वाराणसी/प्रयागराज/मेरठ/बरेली/झांसी/गोरखपुर/अलीगढ़/मुरादाबाद/मथुरा–वृन्दावन/गाजियाबाद/शाहजहांपुर।
4. **नगर आयुक्त, नगर निगम,** लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/प्रयागराज/मेरठ/बरेली/झांसी/गोरखपुर/अलीगढ़/मुरादाबाद/मथुरा–वृन्दावन/गाजियाबाद/शाहजहांपुर।
5. **पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,** लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/प्रयागराज/मेरठ/बरेली/झांसी/गोरखपुर/अलीगढ़/मुरादाबाद/मथुरा–वृन्दावन/गाजियाबाद/शाहजहांपुर।
6. **प्रबन्ध निदेशक,** सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि0, लखनऊ/कानपुर/आगरा/वाराणसी/प्रयागराज/मेरठ/बरेली/झांसी/गोरखपुर/अलीगढ़/मुरादाबाद/मथुरा–वृन्दावन/गाजियाबाद/शाहजहांपुर।
7. **कम्प्यूटर सेल,** नगर विकास विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
उप सचिव।

A.K. UT-GO-20